

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(5)गृह-1/2021 (27746) पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 2111/2008 श्री नरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2024 की पालना में राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिट्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.02.2026 के द्वारा की गई अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **कनिष्ठ वेतन श्रृंखला** की निम्नांकित वर्षों के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2021-22

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021-22 में श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बद्रीदान, (सामान्य) को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री नानालाल सालवी पुत्र श्री सेवाराम, (सामान्य) के नीचे एवं श्री सुनील कुमार जाखड़ पुत्र श्री नवरंग लाल, (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2021-22 की पूर्व में आयोजित डीपीसी में चयन उपरान्त श्री श्रीराम बडसरा पुत्र श्री महादेव प्रसाद, (सामान्य) के किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2022-23

श्री श्रीराम बडसरा पुत्र श्री महादेव प्रसाद, (सामान्य) को वर्ष 2022-23 की रिक्ति के प्रति राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री आशीष भार्गव पुत्र श्री रामेश्वर दयाल के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2022-23 की पूर्व में आयोजित डीपीसी में चयन उपरान्त श्री अभय कुमार बग्रेठ पुत्र श्री श्याम सुन्दर, (सामान्य) के किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2023-24

श्री अभय कुमार बग्रेठ पुत्र श्री श्याम सुन्दर, (सामान्य) को वर्ष 2023-24 की रिक्ति के प्रति राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन गोपाल शर्मा, (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2023-24 की पूर्व में आयोजित डीपीसी में चयन उपरान्त श्री लाल सिंह यादव पुत्र श्री पतराम, (सामान्य) के किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

वर्ष 2024-25

श्री लाल सिंह यादव पुत्र श्री पतराम, (सामान्य) को वर्ष 2024-25 की रिक्ति के प्रति राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री सुनील कुमार टेलर पुत्र श्री नाथूलाल टेलर, (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2024-25 की पूर्व में आयोजित डीपीसी में चयन उपरान्त श्रीमती लता शर्मा/श्री अनिल शर्मा, (सामान्य) के किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in



वर्ष 2025-26

श्रीमती लता शर्मा/श्री अनिल शर्मा, (सामान्य) को वर्ष 2025-26 की रिक्ति के प्रति राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री लीलूराम, (एससी) के नीचे तथा श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद, (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2025-26 की पूर्व में आयोजित डीपीसी में चयन उपरान्त श्री लाखन सिंह खटाना पुत्र श्री बृजलाल, (सामान्य) के किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अधीन है।

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बद्रीदान को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस